

समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कृ. भोपाल मप्र



पुनरीक्षण याचिका क...../13

दौलतराम आ० कमोदी आयु लगभग 25 वर्ष
निवासी ग्राम जमुनिया तहसील व जिला

रायसेन म.प्र.....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

नारायणसिंह आ० नंदराम आयु लगभग 35
वर्ष निवासी एवं कृषक ग्राम जमुनिया हाल

निवास म.न. 399 टीला जमालपुरा तहसील

हुजूर जिला भोपाल म.प्र.....उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से निम्न विनय है:-

1. यह कि आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से माननीय एस.एल.आर. महोदय रायसेन द्वारा प्रकरण क. 13/5 अपर कलेक्टर/10 नारायणसिंह में पारित आदेश दिनांक 30.11.2012 एवं अतिरिक्त तहसीलदार महोदय सांची द्वारा प्रकरण क. 17-अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2012 से परिवेदित एवं असंतुष्ट होकर यह याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न लिखित ठोस तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य

1. यह कि, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी भूमि ख.क. 28/4/1 रकबा 6.76 एकड़ स्थित ग्राम जमुनिया प.ह.न. 2 की भूमि का सीमांकन हेतु नायव तहसीलदार महोदय सांची के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था दिनांक 11.06.2011 को सीमांकन किया जाकर उत्तरदाता के कब्जे में 0.65 एकड़ भूमि पाई गयी जिसका कब्जा उत्तरदाता ने छोड़ने

की अशोक जीवराज
याचिका आदि भोपाल
कम-पा. 5/11/12
(28/6/13)

R-2646-113

28/6/13
28/6/13
मो.प्र. 118

4/11/13

13/11


12

उत्तरदाता

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2646-एक/2013 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-2-19	<p>उभयपक्ष अनुपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो । उभयपक्ष सूचित हो ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	